**Research Vidyapith International Multidisciplinary Journal**

**(International Open Access, Peer-reviewed & Refereed Journal)**

(Multidisciplinary, Monthly, Multilanguage)

*** Vol-3* *Issue-1* *January 2026***

**www.researchvidyapith.com** **ISSN (Online): 3048-7331**

# शिक्षा का अधिकार अधिनियम का प्रभाव और चुनौतियाँः बेगूसराय जिले का अनुभव

***चंदन कुमार***

*शोधार्थी (जेआरएफ), स्नातकोत्तर राजनीति विज्ञान विभाग, बी.एन. मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा।*

***डॉ. श्याम मोहन मिश्रा***

*शोध निदेशक, सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजी सेंटर, सहरसा*

**Article Info:** *(Recieved- 10/11/2025, Accept- 16/12/2025, Published- 10/01/2026)*

**DOI- 10.70650/rvimj.2026v3i1006**

**सारांशः** शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE Act), 2009, भारत में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण कानून है। यह लेख बिहार के बेगूसराय जिले में RTE अधिनियम के कार्यान्वयन, उसके प्रभाव और चुनौतियों पर केंद्रित है। उपलब्ध शोध और रिपोर्टों के आधार पर, जिले में RTE ने दरों में सुधार किया है, लेकिन बुनियादी ढांचे की कमी, शिक्षक की कमी और गुणवत्ता संबंधी मुद्दे प्रमुख चुनौतियाँ बने हुए हैं। यह विश्लेषण बिहार के व्यापक संदर्भ में जिले के अनुभव को देखता है, जहां अंतर–जिला असमानताएँ स्पष्ट हैं।

**कुँजीः** शिक्षा, कानून, चुनौती, शिक्षक।

**प्रस्तावनाः** भारत सरकार ने 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया, जो संविधान के अनुच्छेद 21। के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाता है। इस अधिनियम का उद्देश्य सभी बच्चों को समान शिक्षा प्रदान करना है, जिसमें निजी स्कूलों में 25% सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए आरक्षित हैं। बिहार, जो शिक्षा के मामले में पिछड़ा राज्य है, में RTE का कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहा है। बेगूसराय जिला, बिहार के पूर्वी भाग में स्थित, औद्योगिक और कृषि प्रधान क्षेत्र है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में कई बाधाएँ हैं। यह लेख जिले के अनुभव पर आधारित है, जिसमें RTE के सकारात्मक प्रभाव जैसे वृद्धि और सामुदायिक भागीदारी, साथ ही चुनौतियाँ जैसे बुनियादी ढांचे की कमी और शिक्षक अनुपात की समस्या शामिल हैं।

**RTE अधिनियम का कार्यान्वयन बेगूसराय जिले में–**

बेगूसराय जिले में RTE अधिनियम का कार्यान्वयन बिहार के अन्य जिलों की तरह मिश्रित रहा है। 2024 की आरटीई स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, जिले में स्कूल मैनेजमेंट कमेटी (SMC) ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एसएमसी ने कई छात्रों को निजी स्कूलों से सरकारी स्कूलों में स्थानांतरित करने में सफलता प्राप्त की, जो सामुदायिक निगरानी और प्रबंधन का उदाहरण है। यह RTE की धारा 22 के अनुरूप है, जो स्कूल विकास योजना SDP पर जोर देती है। हालांकि, बिहार में SDP की तैयारी में कमी रही है, जो RTE के समग्र कार्यान्वयन को प्रभावित करती है।

जिले के प्राथमिक स्कूलों में बुनियादी ढांचे की जांच से पता चलता है कि अपर्याप्त सुविधाएँ शैक्षिक उपलब्धियों में असमानताएँ पैदा करती हैं। एक शोध अध्ययन में पाया गया कि बुनियादी ढांचे की कमी (जैसे कक्षाओं, शौचालयों और पेयजल की कमी) और शैक्षिक उपलब्धियों के बीच महत्वपूर्ण संबंध है। RTE की धारा 19 के तहत स्कूलों को न्यूनतम बुनियादी ढांचा मानदंडों को पूरा करना चाहिए, लेकिन बेगूसराय में कई स्कूल इनमें विफल रहे हैं।

इसके अलावा, वित्तीय निवेश और शैक्षिक परिणामों पर एक अन्य अध्ययन से पता चलता है कि जिले में

सरकारी निवेश बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि वर्तमान फंडिंग अपर्याप्त है, जो आरटीई के लक्ष्यों को प्रभावित करती है।

**प्रभावः** RTE अधिनियम ने बेगूसराय जिले में कुछ सकारात्मक प्रभाव दिखाए हैंः

**दर में वृद्धिः** बिहार में RTE ने प्राथमिक स्तर पर शुद्ध नामांकन दर को सुधारने में मदद की है। बेगूसराय में SMC की सक्रियता से सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या बढ़ी है।

**समावेशिताः** RTE की धारा 12(1)(ब) के तहत निजी स्कूलों में वंचित बच्चों के लिए 25% आरक्षण ने कुछ हद तक सामाजिक असमानताओं को कम किया है। बिहार में वंचित बच्चों की निजी स्कूलों में भागीदारी बढ़ी है, हालांकि बेगूसराय में समायोजन की चुनौतियाँ हैं।

**सामुदायिक जागरूकताः** जिले में शिक्षा चौपालों और SMC की गतिविधियों ने अभिभावकों को RTE के अधिकारों के बारे में जागरूक किया है, जो शिक्षा को मात्र पहुंच से आगे गुणवत्ता पर केंद्रित करने में मदद कर रहा है। हालांकि, प्रभाव सीमित रहा है, क्योंकि बिहार में प्राथमिक स्तर पर प्रतिधारण दर केवल 48.3% है, और बेगूसराय जैसे जिलों में यह और भी कम हो सकती है।

**चुनौतियाँः** बेगूसराय जिले में त्ज्म् के कार्यान्वयन में कई चुनौतियाँ हैं, जो बिहार के व्यापक मुद्दों से जुड़ी हैं:

**बुनियादी ढांचे की कमीः** कई स्कूलों में कक्षाएँ, शौचालय, पेयजल और खेल मैदान की कमी है। शोध से पता चलता है कि ये कमियाँ शैक्षिक उपलब्धियों को प्रभावित करती हैं। बिहार में U-DISE डेटा और वास्तविक स्थिति में अंतर है, जैसे शौचालयों की रिपोर्ट 98.9% जबकि वास्तविक 25%।

**शिक्षक की कमी और गुणवत्ताः** जिले में शिक्षक–छात्र अनुपात (PTR) RTE के मानदंड 30:1 से अधिक है, बिहार में औसत 54:1। एकल–शिक्षक स्कूलों की संख्या अधिक है (बिहार में 31%), जो बहु–ग्रेड कक्षाओं और कम शिक्षण समय का कारण बनती है। शिक्षक उपस्थिति केवल 67% है।

**स्कूल से बाहर बच्चे और ड्रॉपआउटः** बिहार में 1,34,252 बच्चे स्कूल से बाहर हैं, जिसमें लड़कियाँ अधिक प्रभावित हैं। बेगूसराय में गरीबी, जाति भेदभाव और निजी ट्यूशन की आवश्यकता ड्रॉपआउट बढ़ाती है।

**वित्तीय और प्रशासनिक मुद्देः** फंड का कम उपयोग और SDP की अनुपस्थिति RTE को प्रभावित करती है। निजी स्कूलों में यूज बच्चों के समायोजन में पाठ्यक्रम और सामाजिक एकीकरण की चुनौतियाँ हैं।

**अंतर–जिला असमानताएँः** बेगूसराय में साक्षरता दर बिहार के औसत से बेहतर है, लेकिन जेंडर गैप और गुणवत्ता मुद्दे बने हुए हैं।

**ड्रॉपआउट दरः** प्राथमिक से माध्यमिक स्तर पर संक्रमण कम। बिहार में माध्यमिक ड्रॉपआउट उच्च (20%+), और बेगूसराय में गरीबी, बाल मजदूरी, बाल विवाह (विशेषकर लड़कियों में) कारण हैं।

**EWS कोटा का अपूर्ण क्रियान्वयनः** निजी स्कूल अक्सर RTE कोटा भरने में अनिच्छुक रहते हैं या दस्तावेजों में देरी करते हैं। जिले में गरीब परिवारों को जागरूकता और सहायता की कमी।

**गुणवत्ता की कमीः** नामांकन बढ़ा लेकिन सीखने के परिणाम (Learning outcomes) कमजोर। ASER रिपोर्टों में बिहार के बच्चे बुनियादी पढ़ाई–गणित में पिछड़े दिखते हैं।

**सामाजिक भेदभावः** जाति, गरीबी आधारित भेदभाव स्कूलों में जारी। मुस्लिम या दलित बच्चे प्रभावित होते हैं।

**निगरानी और जवाबदेहीः** SMC सक्रिय नहीं होते, और प्रशासनिक उदासीनता। बिहार में RTE रिपोर्टिंग में कमी (2025 रिपोर्टों में बिहार दूसरे स्थान पर जहां स्कूल RTE नहीं मानते)।

RTE अधिनियम ने बेगूसराय में शिक्षा को सुलभ बनाया है, लेकिन चुनौतियाँ गुणवत्ता और निरंतरता को प्रभावित करती हैं। प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सुझावः

- बुनियादी ढांचे में निवेश बढ़ाना।
- शिक्षकों की भर्ती और प्रशिक्षण पर फोकस।
- SMCs को मजबूत करना और समुदाय जागरूकता अभियान।
- OoSC पर विशेष ध्यान और मॉनिटरिंग।

RTE को 'जीवित वास्तविकता' बनाने के लिए स्थानीय स्तर पर प्रयास आवश्यक हैं, ताकि बेगूसराय जैसे जिलों में शिक्षा सशक्तिकरण का साधन बने।

RTE अधिनियम ने भारत को शिक्षा के सार्वभौमीकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाने में मदद की, लेकिन इसका पूर्ण प्रभाव तब तक नहीं आएगा जब तक गुणवत्ता, समानता और क्रियान्वयन पर ध्यान नहीं दिया जाता। NEP 2020 के साथ RTE को एकीकृत कर प्री–स्कूल शिक्षा को शामिल करना, शिक्षक प्रशिक्षण मजबूत करना, डिजिटल निगरानी बढ़ाना, और समुदाय की भागीदारी (SMC) को सशक्त बनाना आवश्यक है।

कुल मिलाकर, RTE एक प्रगतिशील कानून है, लेकिन चुनौतियों के समाधान से ही यह वास्तविक परिवर्तन ला सकता है। शिक्षा न केवल पहुंच का, बल्कि गुणवत्ता और समावेश का भी अधिकार बनना चाहिए।

RTE अधिनियम ने भारत के शिक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय बदलाव लाए हैं, विशेष रूप से पहुंच और नामांकन में। 2009–10 से 2021–22 तक की अवधि में, प्राथमिक स्तर पर शुद्ध नामांकन दर (NER) 98% से घटकर 88% हुई, लेकिन ऊपरी प्राथमिक स्तर पर 71% तक पहुंची। प्राथमिक स्तर पर रिटेंशन दर 74% से बढ़कर 95.4% हो गई, जबकि ड्रॉपआउट दर 1.5% तक कम हुई। स्कूलों की संख्या 13.15 लाख से बढ़कर 14.89 लाख हो गई, और शिक्षकों की संख्या 5.8 मिलियन से 8.9 मिलियन तक पहुंची। पत्र में सुधार हुआः प्राथमिक स्तर पर 36:1 से 26:1 और ऊपरी प्राथमिक पर 32:1 से 19:1।

ग्रामीण क्षेत्रों में, RTE ने नामांकन को बढ़ावा दिया, विशेष रूप से लड़कियों, SC/ST और विकलांग बच्चों के लिए। उदाहरण के लिए, ग्रामीण भारत में 70% से अधिक बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक/ऊपरी प्राथमिक शिक्षा मिल रही है। EWS कोटा के तहत, दिल्ली में 2022–23 में 17,000 नर्सरी सीटें उपलब्ध कराई गईं, और 2 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए। विकलांग बच्चों के नामांकन में वृद्धि देखी गई, और RTE ने निजी ट्यूशन बाजार को प्रभावित किया, जहां प्रतिस्पर्धी जिलों में प्रभाव अधिक रहा।

राज्यों में सकारात्मक उदाहरण शामिल हैं– बिहार में स्कूल प्रबंधन समितियां (SMC) ने छात्रों को सरकारी स्कूलों की ओर स्थानांतरित किया; तमिलनाडु में संसाधन जुटाने से सुधार हुआ; और कर्नाटक में 'अक्षर आविश्कार' जैसी पहल से क्षेत्रीय प्रगति हुई। कुल मिलाकर, RTE ने शिक्षा को सामाजिक–आर्थिक स्थिरता और गरीबी उन्मूलन का माध्यम बनाया, जिसमें साक्षरता दर में वृद्धि (हालांकि धीमी) और बुनियादी सुविधाओं जैसे लड़कियों के शौचालय (94.7%) और खेल के मैदान (77%) में सुधार शामिल है।

**गुणवत्ता और बुनियादी ढांचे के मुद्देः** शिक्षा की गुणवत्ता कम है, जिसमें रट्टा–आधारित पाठ्यक्रम और अपर्याप्त प्रशिक्षण शामिल है। 66% प्राथमिक स्कूल छात्र–कक्षा अनुपात में असफल हैं, और 70% झारखंड स्कूलों में नियमित प्रधानाध्यापक नहीं हैं।

**कॉविड–19 ने डिजिटल डिवाइड बढ़ायाः** 80% सरकारी स्कूल छात्रों को कोई संसाधन नहीं मिला, जिससे ड्रॉपआउट बढ़ा। EWS कोटे में बाधाएं जैसे दस्तावेजों की कमी, दूरी, और सांस्कृतिक अंतराल (दिल्ली में 35% सीटें खाली)।

**शासन और वित्तीय चुनौतियाँः** एसएमसी 88% तक गैर–कार्यात्मक हैं, और बैठकें अनियमित हैं। वित्तीय कमीरू शिक्षा बजट ळक्च् का केवल 0.37% (2024–25), और SSA/SmSA में 40.9% कमी। शिक्षकों को गैर–शैक्षणिक कार्यों में लगाया जाता है, और शारीरिक दंड जारी है। निजीकरण और म्कज्मबी ने असमानताएं बढ़ाईं।

**समकालीन मुद्देः** साक्षरता वृद्धि धीमी (9.21%), और निजी स्कूलों में लाभ–उन्मुख दृष्टिकोण। NEP 2020 के साथ RTE का एकीकरण आवश्यक, लेकिन स्कूल विलय पहुंच को प्रभावित कर रहे हैं।

**निष्कर्षः** RTE अधिनियम ने नामांकन और पहुंच में महत्वपूर्ण प्रगति की है, लेकिन गुणवत्ता, अनुपालन और समानता में चुनौतियाँ बनी हुई हैं। समाधान के लिए वित्तीय आवंटन बढ़ाना, RTE को मजबूत करना, शिक्षक भर्ती, और RTE को माध्यमिक स्तर तक विस्तारित करना आवश्यक है। राजनीतिक इच्छाशक्ति और सामुदायिक भागीदारी से ही RTE का पूरा लाभ प्राप्त किया जा सकता है, जो भारत को साक्षर और समृद्ध राष्ट्र बना सकता है। RTE अधिनियम ने बेगूसराय जिले में शिक्षा की पहुंच बढ़ाई है, लेकिन गुणवत्ता और समावेशिता में चुनौतियाँ बनी हुई हैं। SMC जैसे स्थानीय प्रयास सफल हैं, लेकिन राज्य स्तर पर बुनियादी ढांचे, शिक्षक प्रशिक्षण और फंडिंग में सुधार आवश्यक है।

सिफारिशें बुनियादी ढांचे में निवेश, PTR सुधार, SDP कार्यान्वयन और सामुदायिक भागीदारी बढ़ाना। आगे के शोध में जिले–विशिष्ट डेटा संग्रह पर ध्यान दें ताकि RTE के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।

## Author's Declaration:

I/We, the author(s)/co-author(s), declare that the entire content, views, analysis, and conclusions of this article are solely my/our own. I/We take full responsibility, individually and collectively, for any

errors, omissions, ethical misconduct, copyright violations, plagiarism, defamation, misrepresentation, or any legal consequences arising now or in the future. The publisher, editors, and reviewers shall not be held responsible or liable in any way for any legal, ethical, financial, or reputational claims related to this article. All responsibility rests solely with the author(s)/co-author(s), jointly and severally. I/We further affirm that there is no conflict of interest financial, personal, academic, or professional regarding the subject, findings, or publication of this article.

**सन्दर्भ ग्रंथ सूची–**


1. शिक्षा का अधिकार अधिनियम केंद्र सरकार का गजट, (2009)।
2. जैन, डॉ विनोद कुमार– शिक्षा का अधिकार अधिनियम एवं उसकी उद्देश्य संदर्भित लेख (2010)।
3. त्यागी, गुरू सरन दास– आधुनिक भारत और शिक्षा विनोद पुस्तक मंदिर 2010 (पृष्ठ संख्या–743–789)।
4. पचौरी, प्रो. गिरीश– शिक्षा के प्रमुख आधार 2016 5.–54 त्एस्ण् बुक डिपो, मेरठ।
5. बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (आरटीई अधिनियम, 2009)।
6. शिक्षा और राष्ट्रीय विकास, शिक्षा आयोग की रिपोर्ट (1964–66), एनसीईआरटी, नई दिल्ली, 1971।
7. शिक्षा की चुनौतियाँ–एक नीतिगत परिप्रेक्ष्य, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, अगस्त 1985।
8. राष्ट्रीय शिक्षा नीति– 1986, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सरकार। भारत सरकार, शिक्षा विभाग, नई दिल्ली, मई, 1986।
9. एक प्रबुद्ध और मानवीय समाज की ओर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा के लिए समिति की रिपोर्ट, अंतिम रिपोर्ट, 26 दिसंबर 1990।
10. राष्ट्रीय शिक्षा नीति–1986 (1992 में किए गए संशोधनों के साथ),
11. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग, नई दिल्ली, 1992।
12. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, कार्य योजना, 1992।
13. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग, भारत सरकार, 1993।
14. सभी के लिए शिक्षा भारतीय परिदृश्य, शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, दिसंबर 1993।


## Cite this Article

*'चंदन कुमार; डॉ. श्याम मोहन मिश्रा'*, *"शिक्षा का अधिकार अधिनियम का प्रभाव और चुनौतियाँः बेगूसराय जिले का अनुभव"*, Research Vidyapith International Multidisciplinary Journal, ISSN: 3048-7331 (Online), Volume:3, Issue:1, January 2026.

**Journal URL-** https://www.researchvidyapith.com/

"Copyright © 2026 The Author(s). This work is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 (CC-BY), allowing others to use, share, modify, and distribute it with proper credit to the author."